



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
केरल, एम.जी.रोड, डाक थैला सं 5607,
तिरुवनंतपुरम - 695 039
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, M.G. ROAD, P.B. No. 5607
THIRUVANANTHAPURAM - 695 039

P19/II/DRSSA-180/UP/2018-19/

Date: 23/04/2018

सं/No.
To

दिनांक / Date :

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Amendment in the pay fixation in the revised pay matrix of the state employees of Government of Uttar Pradesh.

Ref: 1. Sl. No. Pension Misc/LID-38425, 38422/1921 dated 27/02/2018 received from the O/o Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.
2. Letter No. 2/2018/P.C.-2-78/X-2018-04(M)/2016 31/01/2018 received from Secretary, Finance Department, Govt. of Uttar Pradesh

I am to enclose herewith copies of Special Seal Authorization from the Accountant General (A&E), Uttar Pradesh which encloses letter from the Secretary, Finance Department, Govt of UP regarding amendment in the pay fixation in the revised pay matrix of the state employees of Government of Uttar Pradesh.

The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link "*Treasury endorsement orders of other states pensioners*". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Sr. Accounts Officer

09/00000/180
19/3/18

दि. नं. 538
21.03.2018

16/3/18
P-19
476465

Under Special Seal

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वितीय
20 ए.पी.जी. नायडू मार्ग, ए.पी.ओ. इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0531-2614402
पत्रांक: पेंशन विविध / LID-38425,38422 / 1924

20-27-2-2018

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हक)

Kerala. Thiruvananthapuram - 695039

विषय: - वित्त (आयोग) अनुभाग-2 शा.नादेश संख्या 02/2018/वे.आ.0-2-78/दस-2018
- 04(एम0)/2016 दिनांक 01.01.2018

महोदय,
उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त क्षेत्राधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न: - यथोपरि

भवदीय


लेखाधिकारी / पेंशन विविध

To Hindi Cell.
Translate to English Pl.
21/3/18
Doo/Plg


R-707735 C

31/1/2018

संख्या-2/2016/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016

प्रेषक

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।



सेवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव-उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

तारीख: दिनांक 31 जनवरी 2018

विषय - पुनरीक्षित वेतन गैटिक्स में वेतन निर्धारण में संशोधन।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से भाग-4 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन गैटिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित की गई। उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 में वेतन गैटिक्स में नियुक्ति/प्रोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर अगली वेतनवृद्धि की तिथि निर्धारित की गई है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वेतन गैटिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

- (1) 01 जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियाँ होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्गिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या ए0सी0पी0 प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।
- (2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जनवरी को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उसे 01 जुलाई को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो और ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि उन्हें 01 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो।

SSADR
Hankishan
13-2-18

कार्यालय महालेखाकार (वेतन) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
दिनांक: 2/2/2018
संख्या: 2/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016

2018-219
SSADR-218

2.10-38425-

उद्देश्य

(क) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 01 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है को अगली 01 जुलाई 2017 को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 01 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को इस शर्त के अधीन देय होगी कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात् 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारी, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए है, तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-G/2016/वे03आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 इस रीति तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मुकेश गित्तल

सचिव।

संख्या-2/2018/वे03आ0-2-78(1)/दस-2018 (उद्दिनांक)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्दारी) एवं 11 तथा (आडिट)-1 एवं 11 3090 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अंशिष्ठान पुनरोद्धार, वृत्त, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ निर्वाहक, उत्तर प्रदेश।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक ।

अ.प्र.से.

(मन्मोज कुमार जोशी)

विधान सचिव।

Hand Call

TR no. 487
5/19/10-19

Under Special Seal

Office of The Accountant General (A&E)-II
20, Sarojini Naidu Marg, U.P., Allahabad
Phones Off-2622625-26, Fax-0582-2624402

Sl No. Pension Misc./LID-38425, 38422/1921
Dated 27-02-2018

To

The Accountant General (A&E)
Kerala, Thiruvananthapuram-695039

Sub : Finance (Commission) Section-2 Government Order No.O-02/2018/P.C.-2-78/10-
2018-4(M)/2016 dated 31.01.2018

Sir

Copy of the above Government Order issued by the Department of Finance, Uttar Pradesh is being sent enclosed herewith .

Therefore you are requested that the above order may be circulated to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and they may be directed to take action as per rules and a copy of the same may be sent to this office also.

Encl : As above

Yours faithfully
Sd/-
Accounts Officer/Pension Misc.

